राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रवणी देवी बनाम हरसहाय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	33/2009	
19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी मौखिक बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो।	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/प्रतिवादीगण की और से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04/02/2009 पारित करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होना धारित करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 142 में भगवती लाईम स्टोन कम्पनी प्रा. लि. को खनन पट्टा स्वीकृत होकर तहसीलदार व सहायक अभियन्ता खनिज की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 142 का खनन क्षेत्र में होना तथा विवादित आराजी का कृषि कार्य में उपयोग आना साबित नही होने से वादीगण का वाद प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर ख़ारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04/02/2009 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	